

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / 839 / 2625 / 2014 / ई / चार /
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04.04.2015

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह—
आयुक्त, कोष एवं लेखा,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:— सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 के अंतर्गत प्रथम अपील
आवेदन पर सुनवाई के संबंध में पुष्टि / सहमति शासन स्तर से दिया जाना ।

—00—

विषयांकित के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 347 / 3625 / 2014 / ई / चार,
दिनांक 30.03.2015 संलग्न है ।

आदेशानुसार अनुरोध है कि सर्व संबंधितों को अपने स्तर से पत्र प्रेषित करने
का अनुरोध है ।


हस्ताक्षर /—
(श्रृंखला संगीने)
अवर सचिव
म0प्र0शासन, वित्त विभाग

संचालनालय कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश—भोपाल

पू0क्रमांक / प्र.अ.प्र.क.-7 / 2014-15 / 106
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 30.04.2015

- 1— समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) मध्यप्रदेश ।
 - 2— समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
 - 3— समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) मध्यप्रदेश ।
 - 4— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
 - 5— समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
 - 6— समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


अपर संचालक
संचालनालय कोष एवं लेखा,
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 839/2625/2014/ई/चार,
प्रति

भोपाल, दिनांक 4/4/2015

विशेष कर्तव्यस्य अधिकारी सह-
आयुक्त, कोष एवं लैखा
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 के अंतर्गत प्रथम अपील
आवेदन पर सुनवाई के संबंध में पुष्टि/सहमति शासन स्तर से दिया जाना।

--00--

विषयांकित के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 747/3625/2014/ई/चार, दिनांक
30.3.2015 संलग्न है।

आदेशानुसार अनुरोध है कि सर्व संबंधितों को अपने स्तर से पत्र प्रेषित करने का
अनुरोध है।

अपर संचालक	RSC
संयुक्त संचालक	
उप संचालक	
सहायक संचालक	
सहायक प्रशासक	

वित्त सह-आयुक्त
कोष एवं लैखा



(शृंखला संगीने)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

18
17/4/15

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30-3-15

क्रमांक/ एनएच /3625/2014/ई/चार :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 34023/04/5/2005 Estt (B) दिनांक 26.5.2005 के पैरा-तीन में दर्शाये परिशिष्ट-II की कंडिका-X.VI में दिये गये निर्देशानुसार संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश के अंतर्गत आने वाले तहसील स्तर जिला स्तर एवं संभाग स्तर के कार्यालयों के लिये निम्नानुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी (पदनाम से) घोषित किये जाते है :-

क्रं.	स्तर	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
1	तहसील (उपकोषालय हेतु)	उप कोषालय अधिकारी	जिला कोषालय अधिकारी	अनुचिन्नीय अधिकारी (राजस्व)
2	जिला (कोषालय हेतु)	सहायक कोषालय अधिकारी	जिला कोषालय अधिकारी	कलेक्टर
3	संभाग (संयुक्त संचालक कार्यालय हेतु)	सहायक संचालक (कार्यालय संभागाय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन)	संभागाय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन	संभाग आयुक्त (राजस्व)
4	संभाग (लेखा प्रशिक्षण शाला)	व्याख्याता (लेखा प्रशिक्षण शाला)	प्राचार्य (लेखा प्रशिक्षण शाला)	संभागाय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, भोपाल

सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियम का पालन कराया जाना सुनिश्चित करण।

2/ संबंधित कार्यालय में एक से अधिक अधिकारी पदस्थ होने की दशा में सहायक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा क्रमांकित किये जावेंगे।

(श्रीधरलाल संगीने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक/ '148 /3625/2014/लोसूअ/ई/घार,
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 30-3-15

1. मुख्य सचिव के निज सहायक, जनसंख्या विभाग
 2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय,
 3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
 4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह-आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश, भोपाल,
 5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश,
 6. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश,
 7. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्य प्रदेश,
 8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश,
 9. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश,
 10. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्य प्रदेश,
 11. समस्त उपकोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शृंखला संगीने)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग